

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II Section 3 - Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

979]

No.

9791

नई दिल्ली, बुधवार, मई 19, 2010/वैशाख 29, 1932

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 19, 2010/VAISAKHA 29, 1932

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2010

का.आ. 1187(अ).—केन्द्रीय सरकार आप्रवासन (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000 (2000 का 52) की घास 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आप्रवासन (वाहक दायित्व) आदेश, 2007 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :--

- 1. (1) इस आदेश को आप्रवासन (बाहक दायित्व) संशोधन आदेश, 2010 कहा जाएगा
- (2) यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- 2 आप्रवासन (वाहक दायित्व) आदेश, 2007 के पैरा 2, के उप-पैरा (i) में शब्द "विशेषज्ञों" के स्थान पर "दस्तावेज परीक्षण विशेषज्ञ" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फा सं 25022/171/1993-एफ. I]

जी.वी.वी. शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मुख्य नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, में दिनांक 8 फरवरी, 2007 के सं का.आ. 171(अ) के तहत प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2010

- S.O. 1187(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3A of the Immigration (Carriers' Liability) Act, 2000 (52 of 2000), the Central Government hereby makes the following order to amend the Immigration (Carriers' Liability) Order, 2007, namely:-
- 1. (1) This order may be called the Immigration (Carriers' Liability) Amendment Order, 2010.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Immigration (Carriers' Liability) Order, 2007 in para 2, in sub-para (i) for the word "experts" the words "document examination experts" shall be substituted.

[F. No. 25022/171/1993-F.I]

G.V. V. SARMA, Jt. Secy.

Note: - The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number S.O. 171(E), dated the 8th February, 2007.

也是是

1913 GI/2010